

सेवायोजन विभाग,
 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)
 पत्रांक: डीटीइयू(सेवा०) / ई-१ / स्था०नि० / का०आ० / १८
 दिनांक: ०४ जून, २०१८
कार्यालय—आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक—सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—२०१७ (संख्या १ वर्ष २०१८) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु धारा २२ (१) (२) (३) के अधीन इन प्रतिबन्धों के साथ किये जा रहे हैं कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा—२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी त्रुटि के निवारण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के भीतर प्रत्यावेदन स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मत्त्वय प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून—२०१८ का वेतन उनके नवतैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
१.	श्री शंकर सिंह बोरा	सहा० सेवा० अधिकारी	शिक्षण एंव मार्गदर्शन केन्द्र, खटीमा	जिला सेवायोजन कार्यालय, बागेश्वर	जनहित में
२.	श्रीमती अनुभा जैन	जिला सेवा० अधिकारी	जिला सेवायोजन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर।	जिला सेवायोजन कार्यालय, चमोली	जनहित में
३.	श्री कपिल पाण्डे	जिला सेवा० अधिकारी	जिला सेवायोजन कार्यालय, रुद्रप्रयाग।	जिला सेवायोजन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(जे०एस० नागन्याल)
 निदेशक, सेवायोजन

क्रमशः....

(1)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/चमोली/रुद्रप्रयाग।
3. महालेखाकार ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
4. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई०सी०रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर/गोपेश्वर(चमोली)/खटीमा उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिनों पश्चात उसका वेतन आहरित न करने का कष्ट करें।
6. क्षेत्रसेवा०का०/जिला सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा/लैंसडौन/ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/रुद्रप्रयाग।
7. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23(10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से ०२ दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित(अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक हेतु।
9. गार्ड पत्रावली निदेशालय(सेवा०)।

२
(जे०एस० नूरगढ़ाले)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग,
 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)
 पत्रांक: डीटीइयू(सेवा०) / ई-१ / स्था०नि० / का०आ० / १८
 दिनांक: ०४ जून, २०१८

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या 1 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु धारा 22 (1) (2) (3) के अधीन इन प्रतिबन्धों के साथ किये जा रहे हैं कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी त्रुटि के निवारण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर प्रत्यावेदन स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मन्तव्य प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून- 2018 का वेतन उनके नवतैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री आदेश कुमार	प्रधान सहायक	जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लैंसडौन	जनहित में।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(जे०एस० नागन्याल)
निदेशक, सेवायोजन

क्रमशः....

(1)

पृष्ठांकन १००२-१०१। / डीटीईयू(सेवा०) / स्थानिदे० ०६-२०/२०१८

तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, २६ ई०सी०रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार/लैंसडौन, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिनों पश्चात उसका वेतन आहरित न करने का कष्ट करें।
5. क्षे०से०का०/जिला सेवायोजन कार्यालय, देहरादून/लैंसडौन/हरिद्वार।
6. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २३(१०) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से ०२ दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित(अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित कार्मिक हेतु।
8. गार्ड पत्रावली निदेशालय(सेवा०)।

२७/६/१९
(जे०एस० नागन्याल)
निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग,
 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)
 पत्रांक: डीटीईयू(सेवा०) / ई-१ / स्था०नि० / का०आ० / १८
 दिनांक: ०४ जून, २०१८
कार्यालय—आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक—सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—२०१७ (संख्या १ वर्ष २०१८) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में उनके नाम के समुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु धारा २२ (१) (२) (३) के अधीन इन प्रतिबन्धों के साथ किये जा रहे हैं कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा—२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी त्रुटि के निवारण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के भीतर प्रत्यावेदन स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मत्वय प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निरस्तारण किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून—२०१८ का वेतन उनके नवतैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
१	श्री सुरेश पाठक	वरिष्ठ सहायक	जिला सेवायोजन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर।	शिक्षण एवं सार्व दर्शन केन्द्र, बागेश्वर	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


 (जे०एस० नागन्याल)
 निदेशक, सेवायोजन

क्रमशः....

(1)

पृष्ठांकनं 1012-1021

डीटीईयू(सेवा०) / स्थानिदे० / 06-20 / 2018

तददिनांकित ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई०सी०रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिनों पश्चात उसका वेतन आहरित न करने का कष्ट करें।
5. क्ष०से०का०/जिला सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर।
6. बैव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23(10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित(अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित कार्मिक हेतु।
8. गार्ड पत्रावली निदेशालय(सेवा०)।

3
8/6/18
(जे०ए०नागन्धाल)

निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग,
 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)
 पत्रांक: डीटीइयू(सेवा०)/ई-१/स्था०नि०/का०आ०/१८
 दिनांक: ०४ जून, २०१८
कार्यालय—आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक—सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 (संख्या 1 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु धारा 22 (1) (2) (3) के अधीन इन प्रतिबन्धों के साथ किये जा रहे हैं कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी त्रुटि के निवारण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर प्रत्यावेदन स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंत्वय प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून— 2018 का वेतन उनके नवतैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री नारायण सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी	जिला सेवायोजन कार्यालय, उत्तरकाशी	जनहित में
2	श्री गुरमीत सिंह	कनिष्ठ सहायक	उपनिदेशक कार्यालय, देहरादून	जिला सेवायोजन कार्यालय, रुद्रप्रयाग	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


 (जे०एस० नागन्याल)
 निदेशक, सेवायोजन

क्रमशः....

(1)

पृष्ठाकंन १०२२-१०३६

डीटीईयू(सेवा०) / स्थानिदे० / ०६-२०/२०१८

तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई०सी०रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी देहरादून / नई टिहरी / उत्तरकाशी / रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिनों पश्चात उसका वेतन आहरित न करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रोकारी / जिला सेवायोजन कार्यालय देहरादून / लैंसडौन / टिहरी / उत्तरकाशी / रुद्रप्रयाग।
6. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर / क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23(10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित(अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित कार्मिकों हेतु।
8. गार्ड पत्रावली निदेशालय(सेवा०)।

(जे०एस० नारान्धाल)

निदेशक, सेवायोजन

सेवायोजन विभाग,
 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)
 पत्रांक: डीटीइयू(सेवा०) / ई-१ / स्थान०१० / का०आ० / १८
 दिनांक: ०४ जून, २०१८
कार्यालय—आदेश

एतदद्वारा उत्तराखण्ड लोक—सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 (संख्या १ वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु धारा 22 (1) (2) (3) के अधीन इन प्रतिबन्धों के साथ किये जा रहे हैं कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा—२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी त्रुटि के निवारण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के भीतर प्रत्यावेदन स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मन्तव्य प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून— २०१८ का वेतन उनके नवतैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
१	श्री रामनारायण	अनुसेवक	जिला सेवायोजन कार्यालय, हरिद्वार	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लैंसडौन	स्वयं के अनुरोध पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(जे०ए०स० नागन्याल)
 निदेशक, सेवायोजन

क्रमशः....

(1)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोर्टस बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई०सी०रोड, सर्व चौक, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार/लैंसडौन उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिनों पश्चात उसका वेतन आहरित न करने का कष्ट करें।
5. क्ष०से०का० / जिला सेवायोजन कार्यालय, देहरादून/हरिद्वार/लैंसडौन।
6. बैव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23(10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित(अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित कार्मिकों हेतु।
8. गार्ड पत्रावली निदेशालय(सेवा०)।

2
०५६११४
(जे०एस० नागर्न्याल)
निदेशक, सेवायोजन